



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, प्लॉट टूड सेक्टर,  
गौरीजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं. 340/टीएल/2024

दिनांक : 9.12.2024

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, डीएलएफ साइबर पार्क, टावर बी, 9वीं मंजिल, उद्योग विहार फेस-III रोड, सेक्टर 20, गुरुग्राम- 122008, हरियाणा, भारत द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेस-IV (7 जीडब्ल्यू): भाग सी के अधीन गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विभव नवीकरणीय ऊर्जा जोन से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15, 79(1)(ड) के अधीन आवेदन किया गया है:

### फेस-IV (7 जीडब्ल्यू): भाग सी के अधीन गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विभव नवीकरणीय ऊर्जा जोन से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	<p>2x330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिपेक्टरों और 2x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिपेक्टरों के साथ 4x1500 एमवीए, 765/400 केवी और 2x500 एमवीए, 400/220 केवी बोइसर-II (जीआईएस) एस/एस की स्थापना।</p> <p>(2x1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी प्रत्येक 400-केवी सेक्शन पर होंगे और 2x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी 400 केवी बस सेक्शन-II पर होंगे। 2x125 एमवीएआर बस रिपेक्टर इस प्रकार होंगे कि प्रत्येक 400-केवी बस सेक्शन पर एक बस रिपेक्टर रखा जाएगा। 400 केवी बस सेक्शनलाइजर को सामान्य रूप से खुली स्थिति में रखा जाना चाहिए)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>765/400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी: 4 नंबर (13x500 एमवीए सिंगल फेज यूनिट जिसमें एक अतिरिक्त यूनिट शामिल है)</li> <li>400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी: 2 नंबर</li> <li>765 केवी आईसीटी बे: 4 नंबर</li> <li>400 केवी आईसीटी बे 8 नंबर (बस सेक्शन-I पर 2 नंबर और बस सेक्शन-II पर 4 नंबर)</li> <li>400 केवी बस सेक्शनलाइजर: 1 सेट</li> <li>220 केवी आईसीटी बे 2 नंबर</li> <li>220 केवी बीसी बे 1 नंबर</li> <li>330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिपेक्टर: 2 नंबर</li> <li>125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिपेक्टर: 2 नंबर</li> <li>765 केवी रिपेक्टर बे 2 नंबर</li> <li>765 केवी लाइन बे 6 नंबर</li> <li>400 केवी रिपेक्टर बे 2 नंबर (प्रत्येक बस सेक्शन पर एक)</li> <li>400 केवी लाइन बे: 6 नंबर (बस सेक्शन-I पर 4 नंबर और बस सेक्शन-II पर 2 नंबर)</li> <li>110 एमवीएआर, 765 केवी, 1-पीएच रिपेक्टर (लाइन/बस रिपेक्टर के लिए समर यूनिट): 1 नंबर</li> </ul> <p>भावी प्रावधान:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>765/400 केवी आईसीटी बे के साथ: 2 नंबर</li> <li>765 केवी लाइन बे के साथ स्विचबल लाइन रिपेक्टर: 8 नंबर</li> <li>765 केवी बस रिपेक्टर बे के साथ: 2 नंबर</li> <li>765 केवी सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट</li> <li>400 केवी लाइन बे के साथ स्विचबल लाइन रिपेक्टर: 8 नंबर</li> <li>400/220 केवी आईसीटी बे के साथ: 6 नंबर</li> <li>420 केवी बस रिपेक्टर बे के साथ: 2 नंबर</li> <li>220 केवी लाइन बे: 12 नंबर</li> <li>220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 1 सेट</li> <li>220 केवी बीसी: 1 नंबर</li> </ul>	
2.	साउथ ओलपैड (जीआईएस) - बोइसर-II (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन	
3.	<p>साउथ ओलपैड (जीआईएस) - बोइसर-II (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए साउथ ओलपैड (जीआईएस) पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>765 केवी लाइन बे (जीआईएस) - 2 नंबर (साउथ ओलपैड छोर के लिए)</li> </ul>	24 मास
4.	<p>साउथ ओलपैड (जीआईएस) और साउथ ओलपैड (जीआईएस) - बोइसर-II (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन (एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ) के बोइसर-II (जीआईएस) छोर पर प्रत्येक सर्किट पर 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिपेक्टर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचबल लाइन रिपेक्टर- 4 [बोइसर-II (जीआईएस) के लिए 2 और साउथ ओलपैड (जीआईएस) के लिए 2]</li> <li>765 केवी लाइन रिपेक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट- 4 (बोइसर-II (जीआईएस) के लिए 2 और साउथ ओलपैड (जीआईएस) के लिए 2)</li> <li>1x80 एमवीएआर, 765 केवी 1-पीएच स्पेयर लाइन रिपेक्टर- 1 नंबर (बोइसर-II छोर के लिए)</li> <li>स्पेयर के रूप में उपयोग किए जाने के लिए साउथ ओलपैड (जीआईएस) एस/एस पर अहमदाबाद - साउथ ओलपैड (जीआईएस) 765 केवी लाइन के लिए प्रस्तावित 1x80 एमवीएआर, 765 केवी 1-पीएच स्पेयर लाइन रिपेक्टर (खावड़ा फेज-IV भाग बी योजना के अधीन)</li> </ul>	
5.	बाइसर-II पर नवसारी (न्यू) - पड़वे (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन का लोला	
6.	बाइसर-II (एसईसी-II) - वेलगांव (एमएच) 400 केवी डी/सी (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल59 मूज समतुल्य) लाइन	
7.	<p>बोइसर-II - वेलगांव (एमएच) 400 केवी डी/सी (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल59 मूज समतुल्य) लाइन की समाप्ति के लिए वेलगांव (एमएच) पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>400 केवी लाइन बे (जीआईएस): 2 नंबर (वेलगांव (एमएच) छोर)</li> </ul>	

8.	नामिक बोल्टा पर 1700 एमवीए प्रति सीकेटी की न्यूनतम क्षमता के साथ ट्विन एचटीएलएस कंडक्टर का उपयोग करते हुए बोर्डसर-II (एसईसी-I) पर बमलेश्वर - पडघे (एम) 400 केवी डी/सी लाइन का लीलो
9.	बोर्डसर-II - बमलेश्वर 400 केवी डी/सी लाइन (एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ) के बोर्डसर-II छोर पर लीलो के ऊपर निर्मित 80 एमवीएआर स्विचबेल लाइन रिक्टर • 80 एमवीएआर, 420 केवी स्विचबेल लाइन रिक्टर स्विचिंग उपकरण सहित: 2 नंबर
10.	बोर्डसर-II के 400 केवी बस सेक्शन-I पर 2x125 एमवीएआर एमएससी, 1x125 एमवीएआर एमएसआर के साथ ±200 एमवीएआर स्टेटकॉम और बोर्डसर-II के 400 केवी बस सेक्शन-II पर 2x125 एमवीएआर एमएससी, 1x125 एमवीएआर एमएसआर के साथ ±200 एमवीएआर स्टेटकॉम • 400 केवी सेक्शन-I पर ±200 एमवीएआर स्टेटकॉम (एमएससी/एमएसआर के साथ) • 400 केवी बे - सेक्शन-I पर 1 नंबर • 400 केवी सेक्शन-II पर ±200 एमवीएआर स्टेटकॉम (एमएससी/एमएसआर के साथ) • 400 केवी बे - सेक्शन-II पर 1 नंबर
11.	400 केवी बे (जीआईएस) के 1 नंबर के साथ नवसारी (न्यू) (पीजी) एस/एस के 400 केवी स्तर पर 3x125 एमवीएआर एमएससी, 1x125 एमवीएआर एमएसआर के साथ ±300 एमवीएआर स्टेटकॉम • ±300 एमवीएआर स्टेटकॉम (एमएससी/एमएसआर के साथ) • 400 केवी बे: 1 नंबर

नोट:

- i. वन-एंड-हाफ ब्रेकर योजना में डायमीटर (जीआईएस) पूरा करने के लिए आवश्यक बे भी टीएसपी द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।
- ii. एमएसईटीसीएल, पडघे (एम) - बोर्डसर-II 400 केवी डी/सी लाइन (यानी, लीलो बिंदु से पडघे (एम) तक) के शेष हिस्से का संकटवारिंग करेगा और लीलो लाइन के समय-सीमा के मिलान में आवश्यक हो सकने वाले पडघे (एम) पर 400 केवी के दो अनुपालन नी करेगा। एमएसईटीसीएल ने लाइन की अधिकतम क्षमता की बुद्धि की है जिस बमलेश्वर - पडघे (एम) 400 केवी डी/सी लाइन के मौजूदा टायरों में मजूरी पर विचार करने के बाद 1700 एमवीए प्रति सीकेटी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
- iii. एमएसईटीसीएल, बोर्डसर-II (आईएसटीएस) एस/एस पर बोर्डसर-II - वेल्गांव 220 केवी डी/सी लाइन के दोनों सिंक्रों के लीलो को बोर्डसर-II (आईएसटीएस) एस/एस के समय-सीमा के अनुरूप बोर्डसर-II पर 4 नंबर 220 केवी जीआईएस बे के साथ कार्यान्वित करेगा।
- iv. साउथ ओलपैड (जीआईएस) एस/एस का टीएसपी क्रम संख्या 3 और 4 में परिकल्पित कार्य के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा।
- v. एमएसईटीसीएल, देल्गांव एस/एस में क्रम संख्या 7 में परिकल्पित कार्य के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा।
- vi. विषयगत योजना का टीएसपी साउथ ओलपैड (जीआईएस) - बोर्डसर-II (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन पर इंटर-ट्रिपिंग योजना कार्यान्वित करेगा (मुख्य लाइन ब्रेकर के साथ दोनों छोर पर स्विच करने योग्य लाइन रिक्टर की ट्रिपिंग के लिए)।
- vii. कार्यान्वयन समय-सीमा प्रभावी तारीख से 24 मास।
2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 25.10.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारिषण प्रणाली स्वीकृत करने के लिए पारिषण अनुज्ञापित प्रदान किए जाने हेतु स्वीकृत किया है।
3. रिपोर्ट में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने धारिका सं. 340/टीएल/2024 में दिनांक 7.12.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथालिखित पारिषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारिषण अनुज्ञापित जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. खांबड़ा IV सी पारदर्शिता समिती लिमिटेड का जरूरतसंग्रह्य पारिषण अनुज्ञापित प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुरोध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.sterilhepower.com](http://www.sterilhepower.com) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसार प्रदान किया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारिषण अनुज्ञापित प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पत्र पर दिनांक 24.12.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक 26.12.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0 / -

(हरप्रीत सिंह पृथ्वी)  
सचिव